छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | षोडश सत्र | अंक-03

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2023

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

1. जन्म दिवस की बधाई

माननीय उपाध्यक्ष ने श्री यू.डी. मिंज, सदस्य को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 22 तारांकित एवं 45 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अमरजीत भगत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट),

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक के लिये),

(4) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022)

(ii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, जगदलपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2021-22,

(iii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22,

(iv) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का अठावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022),

(v) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022) तथा

(vi) संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 (1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022), तथा

(5) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022),

पटल पर रखे।

4. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रश्नकाल में मंत्री की उपस्थिति में क्या कोई दूसरा मंत्री जवाब दे सकता है ? इसके बारे में आसंदी की क्या व्यवस्था है कि अगर मंत्री उपस्थित होगा तो उसको जवाब देना होगा, अनुपस्थित होगा तब वह जवाब देगा ? मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रश्नकाल में माननीय मंत्रीगण खड़े होकर

व्यवधान उत्पन्न करें और बाकी सदस्यगण खड़े होकर सदस्यों को प्रश्नों का जवाब न पूछने दें तो इसके बारे में मैं आसंदी से आग्रह करता हूं कि व्यवस्था आनी चाहिए।

इस संबंध में सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये ।

5. व्यवस्था

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि पंचम विधानसभा में माननीय वाणिज्यकर मंत्री के संबंध में पूर्व व्यवस्थाएं हैं । माननीय अध्यक्ष ने पूर्व उदाहरण नहीं होगा के आधार पर भी माननीय वाणिज्य कर मंत्री जी के उपस्थित रहने के दौरान सामूहिक जिम्मेदारीवश अन्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था । यह व्यवस्था है, यह तो पहले भी हो चुका है । पहले भी यह व्यवस्था दे चुके हैं । तद्नुसार ही व्यवस्था जारी है ।

6. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कथन किया कि कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त ऐसे शब्दों/वाक्यों को कार्यवाही से विलोपित कर देना चाहिए, जो आपत्तिजनक एवं असंसदीय हो ।

7. व्यवस्था

चर्चा के दौरान कोई असंसदीय शब्द कार्यवाही में रह जाए तो उसे संपादन के समय विलोपित कर दिया जाता है

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आपने जिस कार्यवाही का उल्लेख किया है, प्रतिदिन की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रस्तुत होती है। यदि कार्यवाही में कोई शब्द असंसदीय, आक्षेपजनक अथवा आपत्तिजनक प्रतीत होता है तो वे पश्चात संपादन की प्रक्रिया में विलोपित किया जाता है । अत: ऐसा नहीं है कि कोई आपत्तिजनक अंश कार्यवाही में है तो वह कार्यवाही का भाग हो गया । शोधित कार्यवाही में उसे विलोपित किया जाता है । जहां तक तत्समय कार्यवाही में से कोई अंश, कार्यवाही चलने के दौरान निकाले जाने का प्रश्न है, वह तत्समय संज्ञान में आने पर आसंदी से विलोपित करने हेतु निर्देशित होता है ।

इस संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने विचार व्यक्त किया ।

8. पृच्छा

श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य एवं

प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा जन-घोषणा पत्र में कर्मचारियों से संबंधित घोषणाओं को पूरा नहीं किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि शून्यकाल में आप सब सदस्यों के द्वारा कही गयी बातें मैंने सुनी । माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री नारायण चंदेल एवं डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत जनघोषणा पत्र में की गई घोषणा पूरी नहीं करने को लेकर स्थगन प्रस्ताव की सूचना, जो कर्मचारियों की हड़ताल एवं उनके आक्रोश के संबंध में प्राप्त हुई है । जैसा कि स्थगन प्रस्ताव के ऊपर कल भी व्यवस्था दी गई थी कि बजट सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न माध्यमों से अपनी बात कहने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं । बजट सत्र में सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाती है। माननीय सदस्यों को अनुदान की मांगों पर भी विभागवार चर्चा में अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। जो विषय इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना में उठाया गया है, वह प्रशासनिक मामला भी है । अत: इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना को मैंने अग्राह्य कर दिया है। साथ ही श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य के द्वारा दी गयी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को भी मैंने अग्राह्य कर दिया है ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.53 बजे स्थगित की जाकर 1.08 बजे समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

10. पृच्छा

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल सदस्य ने कथन किया और मांग की कि हमने निन्दा प्रस्ताव दिया है, उस पर चर्चा करायी जाए ।

11. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. के.के. ध्रुव, सदस्य ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला अंतर्गत जिला विपणन कार्यालय (मार्कफेड) के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने घरघोड़ा अनुभाग अंतर्गत आवंटित कोल ब्लॉक में ग्राम बजमुड़ा के किसानों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

12. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री कुलदीप जुनेजा
(2) श्री अजय चन्द्राकर
(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(4) श्री सौरभ सिंह

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की याचिका सदन में पढ़ी हुई मानी गई।

(1.28 बजे से 3.00 बजे तक अन्तराल ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

14. पृच्छा

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल सदस्य ने अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कथन किया कि विचाराधीन विषय, जो गवर्नर हाऊस के हैं, क्या वह अभिभाषण में शामिल हो सकते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की ।

15. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि- "सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223-ख के उप नियम (1) एवं 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अवधि के लिये अपने में से क्रमशः नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ सदस्यों का निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- ''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234- ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2023-2024 की अवधि के लिये अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि 03 मार्च, 2023 को लोक लेखा समिति, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के निर्वाचन के प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकृति दी गई ।

समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2023 को अपराह्न 1.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार दिनांक 15 मार्च, 2023 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- दो में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 को अपराह्न 1.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

16. मानननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की । (चर्चा जारी)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए।)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्मलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए:-

नेता प्रतिपक्ष, श्री नारायण चंदेल, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, रजनीश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी ।

माननीय सदस्य श्री मोहन मरकाम का भाषण जारी रहेगा। अब अशासकीय कार्य लिया जायेगा ।

17. अशासकीय कार्य आगामी दिवस में लिया जाना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्य सूची के पद क्रमांक-8 में शामिल अशासकीय विधेयक एवं पद क्रमांक-9 के उप पद-2 में शामिल अशासकीय संकल्प को आगामी कार्य दिवस में लिया जायेगा।

18. अशासकीय संकल्प

1. सदन का यह मत है कि "पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये।"

डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-: श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, केशव प्रसाद चन्द्रा,

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य ने संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये ।"

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने संशोधन पर सहमति व्यक्त की।

तद्नुसार यथासंशोधित संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि **"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण जिलों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाये ।"**

यथा संशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ ।

3. सदन का यह मत है कि "जिला-जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाये "

श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-:

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, पुन्नूलाल मोहले, बृजमोहन अग्रवाल, केशव प्रसाद चन्द्रा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी,

श्री टी.एस. सिंहदेव, लोक स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की तथा सर्वसम्मति से संकल्प पारित करने का आग्रह किया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 4.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2023 (फाल्गुन 13, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा